

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, February 19, 2025**

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being satisfied that it is necessary to do so in the public interest, hereby orders that the stamp duty chargeable on the instrument of conveyance of any immovable property having market value upto fifty lakh rupees executed in favour of wife and husband jointly shall be reduced and charged at the rate of 5.5 percent.

[No. F.4(2)FD/Tax/2025-109]

By order of the Governor,



(Dr. Khushaal Yadav)

Joint Secretary to the Government.

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 19, 2025

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना आवश्यक है, इसके द्वारा आदेश देती है कि पति और पत्नी के पक्ष में संयुक्त रूप से निष्पादित पचास लाख रुपये तक के बाजार मूल्य वाली किसी स्थावर संपत्ति के हस्तांतरण लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और 5.5 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जायेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2025-109]

राज्यपाल के आदेश से,



(डॉ. खुशाल यादव)

संयुक्त शासन सचिव